बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालय:-विधुत भवन, बेली रोड, पटना
Contact No:7763817975, 7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in
CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

का0 आ0 सं0 – 512 / पटना, दिनांक 28/12/21
T-V/Misc/1511/2019 (Part)

श्रीमती प्रियतम कुमारी (जन्मतिथि–30.06.1972), तक0 कोटि–I, 132/32 के0 वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, करबिगहिया की नियुक्ति सर्वप्रथम पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अंतर्गत Transmission Zone-II, मुजफ्फरपुर के नियोजन सूचना संख्या– PR/BSEB/2008 के तहत सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के आधार पर वर्ष 2009 में हुई। कालांतर में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के का0 आ0 सं0–396 दिनांक–15.04.2015 (क्रमांक 54) द्वारा श्रीमती प्रियतम की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमित की गयी।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के का0 आ0 सं0–396 दिनांक–15.04.2015 द्वारा सेवा नियमित किये गये कर्मियों में से कुल 69 (उनहत्तर) कर्मियों का आई0 टी0 आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र सत्यापन हेतु निदेशक, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, राज्य वृतिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद दीघा, पटना को संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–238 दिनांक–12.02.2019 के द्वारा भेजा गया। सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक–932 दिनांक–09.09.2019 के द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन में श्रीमती प्रियतम (क्रमांक–29 पर वर्णित) का प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में " NOT ISSUED" प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1802 दिनांक–11.09.2019 के द्वारा श्रीमती प्रियतम को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्रीमती प्रियतम द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक–16.09.2019 द्वारा अनुरोध किया गया कि "मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति अस्पष्ट होने के कारण कार्यालय द्वारा 68964 (प्रमाण पत्र की क्रम संख्या) की जगह 78964 अकित हो गया है। संभवतः प्रमाण पत्र की क्रम संख्या में उक्त गड़बड़ी के कारण ही उनके प्रमाण पत्र को "NOT ISSUED" प्रतिवेदित किया गया तथा उन्हें प्रमाण पत्र/अंक पत्र की सत्यता स्थापित करने हेतु 20 दिनों का समय दिया जाए।" संचरण जोन, मुजफ्फरपुर कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र/अंक पत्र की सत्यता साबित करने हेतु श्रीमती प्रियतम को पर्याप्त समय प्रदान किया गया। तदोपरांत संचरण जोन, मुजफ्फरपुर को सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना का पत्रांक–1012 दिनांक–14.11.2019 प्राप्त हुआ (जो बाद में सत्यापन के क्रम में फर्जी पाया गया) जिसमें यह उल्लेख है कि " पत्रांक–932 दिनांक–09.09.2019 के जाँच पत्र के क्रमांक–29 के मूल प्रमाण पत्र में 78964 गलत पाया गया, मूल प्रमाण पत्र में क्रमांक–58964 है जो सही है"। साथ ही संचरण जोन, मुजफ्फरपुर कार्यालय को सहायक निदेशक (परीक्षा) का पत्रांक–1326 दिनांक–24.12.2019 भी प्राप्त हुआ (जो बाद में सत्यापन के क्रम में फर्जी पाया गया) जिसमें यह उल्लेख है कि "पत्रांक–932 दिनांक–09.09.2019 के जाँच पत्र के क्रमांक–29 के मूल प्रमाण–पत्र में 78964 गलत पाया गया, मूल प्रमाण–पत्र में क्रमांक–68964 है जो सही है, लेकिन टंकण भूलवश 58964 हो गया है।"

उक्त प्रकरण के उपरांत विभिन्न विरोधाभासी जाँच प्रतिवेदन से विवाद उत्पन्न होने के फलस्वरुप कंपनी मुख्यालय द्वारा मामले की समीक्षा तथा विवाद के निबटारे हेतु मामले से संबंधित अबतक प्राप्त सभी सत्यापन प्रतिवेदन की पुष्टि करने हेतु पत्रांक–1063 दिनांक–10.06.2020 द्वारा सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना को भेजा गया। सहायक निदेशक (परीक्षा) के पत्रांक–636 दिनांक–01.10.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक–932 दिनांक–09.09.2019 को सही बताते हुए सम्पुष्ट किया गया तथा पत्रांक–1012 दिनांक–14.11.2019 तथा पत्रांक–1326 दिनांक–24.12.2019 को "कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है" प्रतिवेदित किया गया। ऐसी परिस्थिति में कंपनी मुख्यालय के का0 आ0 सं0–361 दिनांक–18.11.2020 द्वारा महाप्रबंधक

कृ0पृ0उ0

(मा0सं0/प्रशा0) की अध्यक्षता में मामले में उत्पन्न विवाद के निबटारे हेतु मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया।

उक्त गठित समिति द्वारा श्रीमती प्रियतम को दिनांक–23.03.2021 को आहूत बैठक में अपना पक्ष रखने हेतु सभी प्रमाण पत्र/अंक पत्रों के साथ आमंत्रित किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–238 दिनांक–12.02.2019 के द्वारा भेजे गये प्रमाण–पत्र में प्रमाण पत्र की क्रम संख्या अस्पष्ट होने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ हो। दिनांक–23.03.2021 को समिति के समक्ष अपने लिखित पक्ष के साथ श्रीमती प्रियतम द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्र(68964)/अंक पत्र(56753) को सत्यापन हेतु पुनः कंपनी मुख्यालय के पत्रांक–1263 दिनांक–05.08.2021 द्वारा सहायक निदेशक (परीक्षा) को भेजा गया। तदोपरांत सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति सहायक निदेशक (परीक्षा) के पत्रांक–1201 दिनांक–13.08.2021 द्वारा कंपनी मुख्यालय को हुई जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीमती प्रियतम द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र/अंक पत्र कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा दिनांक–21.09.2021 को सम्पन्न तीसरी बैठक में पूरे मामले की समीक्षा उपलब्ध अभिलेख तथा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर की गई तथा यह पाया गया कि श्रीमती प्रियतम कुमारी द्वारा अनुबंध पर नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय समर्पित प्रमाण पत्र/अंक पत्र, सक्षम प्राधिकार/कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं है। साथ ही अपने लिखित पक्ष के साथ उनके द्वारा समर्पित अंक पत्र/प्रमाण पत्र भी जाँचोपरानत फर्जी पाया गया। उक्त के अलावा श्रीमती प्रियतम द्वारा कार्यालय को फर्जी सत्यापन प्रतिवेदन (पत्रांक–1012 दिनांक–14.11.2019 तथा पत्रांक–1326 दिनांक–24.12.2019) भी उपलब्ध कराया गया ताकि उनका नियोजन बरकरार रहे।

अतः समिति द्वारा की गई अनुशंसा तथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के का0 आ0 सं0–396 दिनांक–15.04.2015 की कंडिका (viii) में वर्णित शर्त –"If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account will be recovered." के आधार पर श्रीमती प्रियतम कुमारी के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–02.07.2009 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक के पद पर नियमित नियोजन को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जाती है। साथ ही महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया जाता है कि श्रीमती प्रियतम को वेतनादि मद में भुगतान की गयी सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु तथा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने हेतु समुचित वैधानिक कार्रवाई अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्रीमती प्रियतम कुमारी को निबंधित डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाय।

आदेशानुसार,

ह0/–

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक – ____________________/ पटना, दिनांक–______________/

निबंधित

प्रतिलिपि–श्रीमती प्रियतम कुमारी, पति–श्री उमाशंकर गुप्ता, विद्युत कॉलोनी रजौली, जिला–नवादा, पिन कोड–805125, मो0 नं0–7903003226 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राधा मोहन प्रसाद)

महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक – ______________________/ पटना, दिनांक–_______________/

प्रतिलिपि–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (मा0स0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक – 2463 / पटना, दिनांक– 28/12/21

प्रतिलिपि–निदेशक (परिचालन)/निदेशक(परियोजना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मासं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक)/महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, सभी सचंरण जोन/उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी संचरण अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी संचरण प्रमंडल/डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर/सभी अवर सविच/सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि इसे कंपनी के बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)